UPMZ010085492025

**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 06, मुजफ्फरनगर**

पीठासीन अधिकारी– (SMT. GARIMA SINGH-I ), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06224

**एस0 सी0 सी0 आर0 संख्या–71/2025**

1– अमरजीत सिंह पुत्र श्री आयासिंह दुकान संख्या 05, मकान संख्या 298 सिविल लाईन, दक्षिणी मुजफ्फरनगर।

.............निगरानीकर्ता

बनाम

1– अशोक कुमार

2– इन्द्रप्रकाश

3– पवन कुमार पुत्रगण स्व0 हंसराज निवासीगण 298 सिविल लाईन दक्षिणी मुजफ्फरनगर।

4– श्रीमती पुष्पा रानी पुत्री स्व0 श्री हंसराज पत्नी श्री भूषणलाल निवासी रेलवे रोड कनोहर, जालंधर, पंजाब।

**30.05.2026**

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। वादीगण अशोक कुमार आदि द्वारा अवर न्यायालय में लघुवाद संख्या 21/2014 अशोक कुमार आदि बनाम अमरजीत सिंह दायर किया गया, उक्त वाद में दिनांक 18.07.2025 को निर्णय पारित किया गया। उक्त निर्णय से क्षुब्ध होकर प्रतिवादी द्वारा यह निगरानी 71/2025 अमरजीत बनाम अशोक कुमार आदि दायर की गयी।

निगरानी के लंबन के दौरान उभयपक्ष द्वारा सुलहनामा कागज संख्या 21क इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि पक्षकारो के बीच श्री अजीत सिंह प्रदान गुरूद्वारा गुरू सिंह सभा नुमाईश कैम्प मुजफ्फरनगर ने तस्फिया करा दिया है। दुकान विवादित अपीलान्ट ने खाली करके रैस्पोडेन्ट के कब्जे दखल में दे दी है। अदालत में जो जमा किराया है वह रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 उठायेंगे। इस पर अपीलान्ट को कोई ऐतराज नहीं है। बकाया जो बचा हुआ किराया था वह अपीलान्ट ने नकद रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 3 को आज अदा कर दिया है। अब किसी पक्ष का किसी पक्ष पर बकाया नहीं रहा है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

उभयपक्ष की ओर से सुलहनामा को सुनने व समझने के बाद सुलहनामे को निष्पादित किया जाना स्वीकार किया गया है तथा सुलहनामे पर पक्षकारो द्वारा अपने हस्ताक्षर करना भी स्वीकार किया गया है। पक्षकारो के मध्य अब कोई विवाद शेष नहीं रहा

Digitally signed by GARIMA SINGH
Date: 2026.06.01 09:59:08 IST
Reason: order
Location: Addl. District and Sessions Court-6, MZN

है। पक्षकारो द्वारा प्रस्तुत सुलहनामा कागज संख्या 21क में उल्लिखित शर्तो के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

सुलहनामा कागज संख्या 21क स्वीकार किया जाता है। निगरानी संख्या 71/2025 अमरजीत बनाम अशोक आदि सुलहनामा 21क के परिपेक्ष्य में निर्णीत की जाती है। सुलहनामा 21क निर्णय का भाग रहेगा। अवर न्यायालय का मूल अभिलेख निगरानी में पारित निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब वापस प्रेषित किया जाये। निगरानी की पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 30.05.2026

(**श्रीमती गरिमा सिंह–I**)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या–6, मुजफ्फरनगर।
I.D.– U.P.06224